

पक्षकार तहसीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तरण के समय बाबूलाल के स्थान पर श्रीकिशन हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि बाबूलाल पुत्र सुरजाराम एवं श्रीकिशन पुत्र सुरजाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये श्रीकिशन पुत्र सुरजाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी-रोल का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 306 में दर्ज सहखातेदार नाम श्रीकिशन पुत्र सुरजाराम के स्थान पर वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र सुरजाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- : : आदेश : : -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम रोल तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 306 खसरा नं. 1427, 1431, 1585, 643, 645 में दर्ज नाम श्रीकिशन पुत्र सुरजाराम के स्थान पर वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी-रोल तहसील-जायल दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26/10/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



26/10/2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल